डॉ.(कैप्ट.) अखौरी रामेश चंद्र सिन्हा इत्यादि

बनाम

बिहार राज्य और अन्य इत्यादि

जनवरी 2, 1996

[के. रामास्वामी और जी. बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून :

वरिष्ठता—राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अस्थायी नियुक्ति—कमीशन प्राप्त अधिकारी—सेवा से मुक्त होने के बाद नियमित रूप से सिविल सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त—क्या सेना में अस्थायी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की गणना किए जाने का अधिकार है—अभिनिर्धारितः हकदार है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1996 की दीवानी अपील सं. 1578 आदि।

1993 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7049 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 19.8.94 निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए आर. के. जैन और अखिलेश कु. पांडे।

उत्तरदाताओं के लिए अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त महाधिवक्ता बासुदेव प्रसाद, अजीत कु. सिन्हा, अनिल कु. झा, रुद्रेश्वर सिंह, आर. पी. वाधवानी और ए. पी. माध।

न्यायालय का आदेश दिया गया :

अनुमति दे दी गई।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है। विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7049/93 और 1801/90 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के क्रमशः 19 अगस्त, 1994 जी और 6 दिसंबर, 1994 के फैसलों से उत्पन्न होती हैं। इन मामलों में सवाल अपीलार्थी और उत्तरदाता-कर्मचारी की *आपसी* वरिष्ठता को लेकर है। अपीलार्थी को मार्च 1966 में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें

एक कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल में देश की रक्षा में सेना में सेवा की। सेना से छुट्टी मिलने के बाद, उन्हें 6 सितंबर, 1966 को नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। उत्तरदाता-कर्मचारी शुरुआत में 29 सितंबर, 1964 को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और 15 जुलाई, 1974 को उन्हें नियमित रूप से सिविल सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया। सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता 6 सितंबर, 1966 से अपनी वरिष्ठता का हकदार है और इस तरह वह उत्तरदाता-कर्मचारियों से वरिष्ठ हो जाएगा, हालांकि उन्हें शुरू में 29 सितंबर, 1964 से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। सेना अधिकारियों की पात्रता के संबंध में सरकार द्वारा 20 सितंबर, 1965 को जारी परिपत्र अनुलग्नक VI में पाया गया है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "सेना में सुविधाओं के अलावा, सभी अस्थायी अधिकारियों को सरकार के आदेश संख्या 7892 (बी) दिनांक 10.12.62 के अनुसार सेवा में ग्रहणाधिकार की अनुमति है। इसे आगे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है की मौजूदा स्थायी रिक्तियों में से अस्थायी सहायक शल्य चिकित्सकों के लिए आरक्षित किया जाएगा जो सेना में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं और वे सेना की सेवा में शामिल होने की तारीख से परिवीक्षा पर होंगे और दो साल की संतोषजनक सेवा के पूरा होने पर, उनकी पुष्टि राज्य चिकित्सा सेवा में की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्र के परिणामस्वरूप, पद पर नियुक्ति होने पर और दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पूरी होने पर, उम्मीदवार की बिहार राज्य चिकित्सा सेवा में सिविल सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में संवर्ग में पुष्टि की जाएगी। यह तय किया गया कानून है कि संतोषजनक परिवीक्षा के पूरा होने पर, उनकी पुष्टि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से होगी। मान लीजिए, उन्हें नियमित रूप से 6 सितंबर, 1966 को नियुक्त किया गया था। नतीजतन, उन्हें नियमित रूप से 6 सितंबर, 1966 को सिविल सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया।

यह सच है कि उत्तरदाता-कर्मचारियों की नियुक्ति बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 1964 को की गई अनुशंसाओं के अनुसार हुई थी और उनकी नियुक्ति 29 सितंबर, 1964 को हुई थी। लेकिन सभी नियुक्तियां केवल अस्थायी पदों के लिए हैं, हालांकि उनका चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर किया गया था, उनकी 15 जुलाई, 1974 से पुष्टि की गई थी। इन परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं के संबंध में वरिष्ठता के उद्देश्य से नियमित सेवा 15 जुलाई, 1974 से ही शुरू होगी। अन्य लाभों के लिए, उनकी नियुक्तियाँ उनकी प्रारंभिक अस्थायी नियुक्ति की तिथि से मानी जाएँगी। नतीजतन, अपीलार्थी उनसे वरिष्ठ हो जाता है। परिणामस्वरूप, वह पिछले वेतन को छोड़कर सभी परिणामी लाभों का हकदार है।

तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी. एन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।